

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

कालु सिंह

बनाम

रूपमान

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

359/2025

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

08/9/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

कालु सिंह

पिता श्री

गुलाब सिंह

निवासी-

रोलादेडा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

रोलादेडा

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

809

0.67

कुल कीता

01

कुल रकबा

0.67

है 0 की पत्थरगढी

कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

रोलादेडा

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर

809

0.67

कुल कीता

01

रकबा

0.67

है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी

किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का

खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रुपये अक्षरे

15 हजार मात्र

प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्री देवल)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)